

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपाल

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 398]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 अगस्त 2011—भाद्र 2, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2011

क्र. 5137-295-21-अ-(प्रा).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 17 अगस्त, 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३१ सन् २०११

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०११

[दिनांक 17 अगस्त, 2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 24 अगस्त, 2011 को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०११ है।

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक ६ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनु- क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
"७.	रामकृष्ण धर्मार्थ फाउण्डेशन विश्वविद्यालय.	आयुष्मति एजुकेशन एण्ड सोशल सोसाइटी, भोपाल.	मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी.	रामकृष्ण धर्मार्थ फाउण्डेशन विश्वविद्यालय, आर.जी. पी.व्ही. परिसर के पास, एयरपोर्ट बायपास रोड, भोपाल (म. प्र.).	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश".

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2011

क्र. 5138-295-इक्कीस-अ(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2011 (क्रमांक 31 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 31 OF 2011.

**THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN)
DWITIYA SANSHODHAN ADHINIYAM, 2011.**

[Received the assent of the Governor on the 17th August, 2011; assent first published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)”, dated the 24th August, 2011.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows:—

- | | Short title | Amendment of Schedule. |
|---|-------------|------------------------|
| 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Dwitiya Sanshodhan Adhiniyam, 2011. | | |
| 2. In the Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), after serial number 6 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :— | | |

S. No.	Name of private University (1)	Name of sponsoring body (2)	Mode of forming sponsoring body (3)	Main Campus (5)	Jurisdiction (6)
“7.	Ram Krishna Dharmarth Foundation University.	Ayushamati Education and Social Society, Bhopal.	Registered Society under the M. P. Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).	Ram Krishna Dharmarth Foundation University, Near R. G. P. V. Campus, Airport Bypass Road, Bhopal (M. P.).	Whole of Madhya Pradesh”.